

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/154/25

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/224

प्रवेश तिथि
21.07.2025

निर्णय दिनांक
30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. ताजू पुत्र बने खों जाति भिश्ती (सक्का), सा. पलखडी तहसील अलवर जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रामनगर तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न० 13 रकबा 0.76 है० भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा न० 13 रकबा 0.76 है० भूमि को अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिये आवंटन किया गया था। जिस आधार पर नामा० दर्ज हो कर जमाबंदी में अमल हो चुका है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन/नियमन की प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

संलग्न पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है।


उक्त आराजी राजस्व ग्राम रामनगर तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम रामनगर राज्य सरकार के वन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किया गया आराजी हाल खसरा न० 13 रकबा 0.76 है० वाके ग्राम रामनगर का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी गैर-खातेदार ताजू पुत्र बने खॉं जाति भिश्ती (सक्का), सा. पलखडी तहसील अलवर तहसील अलवर को हाल खसरा न0 13 रकबा 0.76 है0 भूमि का आवंटन किया गया। पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी पर वर्तमान में मूल आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त आराजी पर मौके पर पहाड़ होना बताया गया है। मूल आवंटी दीगर गांव का निवासी होने के कारण मूल आवंटी के जीवित अथवा मृत होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट तथा वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से स्पष्ट है कि उक्त आवंटन सरिस्का वन क्षेत्र के बफर जोन अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम विरुद्ध किया गया है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम रामनगर तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित/अधिसूचित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण में वर्णित उक्त आराजी क्रिटिकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित है जिसे दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। उक्त आवंटन की प्रक्रिया में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम एवं विधि विरुद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी गैर-खातेदार ताजू पुत्र बने खॉं जाति भिश्ती (सक्का), सा. पलखडी तहसील अलवर तहसील अलवर को हाल खसरा न0 13 रकबा 0.76 है0 भूमि का किया गया आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)